न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज॰

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का टिटपुरी बनाम रामचरण S/o बिहारी जाटव।

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- 65/2018 निर्णय दिनाँक :- 28/2/18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सीटाहेड़ा की आ॰ख॰न॰ 1429 कुल रकबा 0.20 किस्म जमीन 0.01 में से 0.01 गै॰मु॰ मरघट रकबे पर श्री रामचरण S/o बिहारी के अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कूड़ा / लकड़ी डाल कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का टिटपुरी द्वारा दिनांक 14/2/18 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू॰अ॰निरी॰ टिटपुरी के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी रामचरण S/o बिहारी जाति जाटव निवासी सीटाहेड़ा को भू॰ राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी बावजूद तामील उपस्थित नहीं आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबवा आ॰ख॰न॰ 1429 रकबा 0.20 में से 0.01 रकबे किस्म गै॰मु॰ मरघट है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा अतिक्रमी को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 27 पैसे का 50 गुणा 14/- चौदह रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु डीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी टिटपुरी भू॰अ॰निरी॰ टिटपुरी को लिखा जाकर बाद तकमील शामिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार कठूमर (अलवर)

तहसीलदार

कठूमर, अलवर (राज॰)